भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1966
जिसका उत्तर बुधवार 2 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाना

1966. श्री ए विजयकुमारः

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इलेक्ट्रिक कारों का विनिर्माण करने वाली कंपनियों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है तथा की गई पहलों की संख्या कितनी है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): इस समय इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

तथापि, देश में इलेक्ट्रिक कारों सहित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2015 से एक स्कीम नामतः फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को विकसित करने तथा इसके पारिस्थितिकी-तंत्र की सहायता करना है। इस स्कीम के तहत उद्देश्य सभी वाहन सेगमेन्टों अर्थात् दुपहिया, तिपहिया ऑटो, चौपहिया वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन देकर मांग प्रोत्साहन के माध्यम से बाजार सृजन करना है। व्यापक अंगीकरण हेतु क्रेताओं (अंतिम प्रयोक्ता/उपभोक्ता) के लिए मांग प्रोत्साहन अग्रिम तौर पर घटाए गए क्रय मूल्य के रूप में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक कारों सहित इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के क्रय के लिए इस स्कीम के तहत अनुमत विस्तृत मांग प्रोत्साहन का ब्यौरा फेम इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के **अनुबंध 13** में दिया गया है, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है। तथापि, वर्तमान में फेम इंडिया स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता कंपनियों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।